



भारतीय रिज़र्व बैंक  
**RESERVE BANK OF INDIA**  
www.rbi.org.in

भारिबैं/2016-17/47

डीजीबीए.जीएडी.सं.458/42.01.034/2016-17

25 अगस्त 2016

सभी एजेंसी बैंक

महोदय/महोदया

**मास्टर परिपत्र – प्रत्यक्ष करों का संग्रह – आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास)**

उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2015 के हमारे मास्टर परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.3/42.01.034/ 2015-16 का संदर्भ देखें।

2. आनलान कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) और प्रत्यक्ष कर संग्रह संबंधी परिचालनगत पक्षों से संबंधित अनुदेश वर्तमान में विभिन्न एजेंसियों द्वारा सीधे एजेंसी बैंकों को जारी किए जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ओल्टास के वर्तमान अनुदेश और परिचालनगत पक्षों तथा इस विषय से संबंधित मास्टर परिपत्र को इस अनुदेश के जारी होने की तारीख से वापस लिया जाता है।

भवदीय

(पार्था चौधुरी)  
महाप्रबंधक